

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
मुकेश बनाम राधेश्याम वगै०
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 103 सन् 2021

2021/108

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
06.10.2021	<p>अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 127, 135 व ख0न0 17 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 3.0221 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 132 रकबा 1.4921 हैक्ट. वाके ग्राम यामीनपुरा पटवार हल्का डारडातुर्की भू.अ.नि. क्षेत्र बगड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसका पक्षकार अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु आराजी का विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है। जिसकी वजह से पक्षकारान् के बीच मेर कोर को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा हैं। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 नाजायज रूप से प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी पर जोर जबरदस्ती काबिज होने का प्रयास कर रहे है, बेदखल करने की धमकी दे रहे है और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को भूमि काश्त को लेकर निरन्तर परेशान किया जा रहा है एवं बोने-जोने में बाधा उत्पन की जा रही है तथा बिना विधिवत् तकास्में के उक्त वर्णित आराजीयात को हस्तांतरित करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p> <p>हमने बहस प्रार्थी एक तरफा सुनी। दौराने बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 127, 135 व ख0न0 17 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 3.0221 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 132 रकबा 1.4921 हैक्ट. वाके ग्राम यामीनपुरा पटवार हल्का डारडातुर्की भू.अ. नि. क्षेत्र बगड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। जिसका पक्षकार अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु आराजी का विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है। जिसकी वजह से पक्षकारान् के बीच मेर कोर को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा हैं। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 नाजायज रूप से प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी पर जोर जबरदस्ती काबिज होने का प्रयास कर रहे है, बेदखल करने की धमकी दे रहे है और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को भूमि काश्त को लेकर निरन्तर परेशान किया जा रहा है एवं बोने-जोने में बाधा उत्पन की जा रही है तथा बिना विधिवत् तकास्में के उक्त वर्णित आराजीयात को हस्तांतरित करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p>	

उप खण्ड अधिकारी

पीपलू (टोंक)

C:\Users\user\Desktop\sdo office\Court\Stay.docx

प्रकरण में प्राइमरी कोर्ट प्रार्थी को हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में सलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 उक्त वर्णित आराजीयात के संयुक्त रूप खातेदार एवं काबिज कारतकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 को अस्वादी निकासा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी को उनके हक हिस्से की आराजी के उपयोग उपयोग करने में मजामहत एवं मदाखलत नही करे एवं बिना विधिवत् तकास्मा कसबादे बिना उक्त वर्णित आराजीयात को हस्तांतरित नही करे एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 25.10.2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)

श्री. श्री. राजेश अजयकाश / स्थानान्तरण / धमण / देस
पर होने से दिनांक 14/12/21 को पेश हो

25/10/21 श्री. श्री. राजेश अजयकाश / स्थानान्तरण / धमण / देस
पर होने से दिनांक 14/12/21 को पेश हो

14/12/21 श्री. श्री. राजेश अजयकाश / स्थानान्तरण / धमण
पर होने से दिनांक 14/02/22 को पेश हो

11/02/22 पत्रावली पेश हुई। अधिनकरा प्रार्थी उपस्थित। समन
तलबना पेश हो। पत्रावली दिनांक 19.04.2022 को पेश हो।

19/04/22 श्री. श्री. राजेश अजयकाश / स्थानान्तरण / धमण
पर होने से दिनांक 28.06.22 को पेश हो

28/06/22 श्री. श्री. राजेश अजयकाश / स्थानान्तरण / धमण
पर होने से दिनांक 30/08/22 को पेश हो

30/08/22 पत्रावली पेश हुई। अधिनकरा प्रार्थी उपस्थित। समन
तलबना पेश हो। पत्रावली दिनांक 13.10.2022 को पेश
हो।

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत मुकाम
~~मुकदमा~~ बनाम ~~राधेश्याम~~ किस्म मुकदमा
 नं. 102 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
13	¹⁰ / ₂₂ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 22/12/22 को पेश हो <i>Ran</i>	1810-19 01.08.23
	²² / ₂₂ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक <u>17.02.23</u> को पेश हो <i>Ran</i>	
17	⁰² / ₂₃ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक <u>25/04/23</u> को पेश हो <i>Ran</i>	
	⁵⁴ / ₂₃ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक <u>13/6/23</u> को पेश हो <i>Ran</i>	
	¹³⁶ / ₂₃ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक <u>18/7/23</u> को पेश हो <i>Ran</i>	
	¹⁸ / ₂₃ पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक <u>21/9/23</u> को पेश हो <i>Ran</i>	
21	⁰⁹ / ₂₃ पत्रायली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राचीन स्थिति/पी.ओ. साहब राजकार्य में वास्तविक अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रायली गत आदेशिका अनुसार दिनांक <u>07/11/23</u> को पेश हो। <i>Ran</i>	
	⁷⁴ / ₂₃ पत्रायली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राचीन स्थिति/पी.ओ. साहब राजकार्य में वास्तविक अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रायली गत आदेशिका अनुसार दिनांक <u>07/11/23</u> को पेश हो। <i>Ran</i>	
26	¹² / ₂₃ पत्रायली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राचीन स्थिति/पी.ओ. साहब राजकार्य में वास्तविक अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रायली गत आदेशिका अनुसार दिनांक <u>28/02/24</u> को पेश हो। <i>Ran</i>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुए
28 ⁰² / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 01.05.2024 पेश है। Ram	
1 ⁵ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 2/7/2024 पेश है। Ram	
02 ⁰⁷ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 03/09/24 पेश है। Ram	
3 ⁹ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 10/10/24 पेश है। Ram	
10 ¹⁰ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 24/11/24 पेश है। Ram	
24 ¹² / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 25/02/25 पेश है। Ram	
25 ⁰² / ₂₅	अधिकृत पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक 02.04.2025 को पेश है। d	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09/04/25	<p>पत्रावली पत्र हुई। अभिवक्त कर्मी/प्राणी उपासक/पी.ओ. साइन राजकार्य में अस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली का आवेदन अनुसार दिनांक 09/04/25 में भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Raj</i></p> <p>पत्रावली भेज हुई। अधिवक्ता प्रवीण इ.प. पत्रावली वास्तु तलनी दिनांक 12.06.25 में भेज है।</p>	
10/06/25	<p>पत्रावली पत्र हुई। अभिवक्त कर्मी/प्राणी उपासक/पी.ओ. साइन राजकार्य में अस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली का आवेदन अनुसार दिनांक 30/07/25 में भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Raj</i></p>	
31/12/25	<p>पत्रावली पत्र हुई। अभिवक्त कर्मी/प्राणी उपासक/पी.ओ. साइन राजकार्य में अस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली का आवेदन अनुसार दिनांक 25/12/25 में भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Raj</i></p>	
13/08/25	<p>पत्रावली भेज हुई। मृत बाफ बिट्टी किये जाने के कारण प्रा.पत्र में अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः न्यायालय हाजा दाय अवकाश निर्णय द्वारा इसी स्तर पर खारिज की जाती है एवं पत्रावली इसी स्तर पर ग्रुप की जाती है। पत्रावली निर्णित कुमार दोस्त दफ्तर हाजिर है एवं नियमानुसार नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Raj</i></p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	<p style="text-align: right;"><i>गुप्ता</i></p> <p style="text-align: right;"><i>P. S.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>विश्व</i></p>